

भूमि

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक :- एफ 28()पंरावि / प्रशा-2 / ग्राविअ / स्थाना.-पद./2020 / 15 जयपुर, दिनांक:- 03.01.2021

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद- अलवर ।

विषय :- ग्राम विकास अधिकारी (ग्राम सेवक) के स्थानान्तरण / पदस्थापन बाबत ।

निर्देशानुसार निम्न ग्राम विकास अधिकारियों (ग्राम सेवक) के स्थानान्तरण / पदस्थापन आदेश उनकी संस्थापन संबंधी सूचना से मिलान कर, नियमानुसार जारी करते हुए, विभाग को अवगत करावें :-

क्र. सं.	नाम सर्व श्री / श्रीमती / कुमारी	कहाँ से	कहाँ को
1	गजराज सिंह यादव	प.स. राजगढ, अलवर	प.स. नीमराणा, अलवर
2	सोनू सिंह	प.स. तिजारा, अलवर	प.स. बहरोड, अलवर

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है ।

- 1- उक्त सूची में यह सुनिश्चित किया जावे कि स्थानान्तरण / पदस्थापन सही नाम से है ।
- 2- यदि कोई कार्मिक माननीय न्यायालय / अधिकरण द्वारा पारित स्थगन आदेश की पालना में कार्यरत है तो ऐसे कार्मिक का स्थानान्तरण / पदस्थापन आदेश जारी नहीं किया जावे ।
- 3- यदि किसी कार्मिक की परिविक्षाधीन अवधि समाप्त नहीं हुई है तो ऐसे कार्मिक का पदस्थापन / स्थानान्तरण आदेश जारी नहीं किया जावे ।
- 4- यदि किसी कार्मिक का स्थानान्तरण किसी अन्य कार्मिक के स्थान पर किया जा रहा है, तो प्रभावित कार्मिक को अन्य निकटतम पंचायत समिति में पदस्थापित किया जावे ।

(विजय पाल सिंह)

अतिरिक्त आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव (प्रथम)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- निजी सचिव, संयुक्त सचिव (एलटी), मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान, जयपुर ।
- 2- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर ।
- 3- निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर ।
- 4- अतिरिक्त कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद संबंधित ।
- 5- विकास अधिकारी, पंचायत समिति संबंधित ।
- 6- एसीपी मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
- 7- सम्बन्धित ग्राम विकास अधिकारी (ग्राम सेवक) को पालनार्थ ।
- 8- आदेश पत्रावली ।

अतिरिक्त आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव (प्रथम)